

प्ररूप 28
पेटेंट अधिनियम, 1970
(1970 का 39)

और

पेटेंट नियम, 2003

लघु अस्तित्व/ स्टार्ट-अप/शैक्षिक संस्था द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा
[नियम 2 (चक), 2 (चख), 2 (गक) और 7 देखें]

1	नाम, पता और राष्ट्रीयता प्रविष्ट करें	<p>मैं/हम -----</p> <p>पेटेंट आवेदन सं. ----- या पेटेंट सं.-----</p> <p>के संबंध में आवेदक/पेटेंटी -----</p> <p>यह घोषित करता हूँ/ करते हैं कि मैं /हम नियम 2 (चक) के अनुसार एक लघु अस्तित्व या नियम 2(चख) के अनुसार एक स्टार्ट-अप या नियम 2(गक) के अनुसार एक शैक्षिक संस्था हूँ/हैं और निम्न दस्तावेज़ (दस्तावेजों) को सबूत के रूप में प्रस्तुत करता/करते हूँ/हैं:</p>
2	प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज़	
	i. लघु अस्तित्व होने का दावा करने के लिए:	
	क. भारतीय आवेदक के लिए: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) के अधीन रजिस्ट्रीकरण का साक्ष्य	
	ख. विदेशी अस्तित्व के मामले में: कोई अन्य दस्तावेज़	
	ii. स्टार्ट-अप होने का दावा करने के लिए	
	क. भारतीय आवेदक के लिए : नियम 2 (चख) में यथा परिभाषित पात्रता के साक्ष्य के रूप में कोई दस्तावेज़	
	ख. विदेशी अस्तित्व के मामले में: कोई अन्य दस्तावेज़	
	iii. शैक्षिक संस्था होने का दावा करने के लिए	
	क. भारतीय आवेदक के लिए : नियम 2 (गक) में यथा परिभाषित पात्रता के साक्ष्य के रूप में कोई दस्तावेज़	
	ख. विदेशी अस्तित्व के संदर्भ में: कोई अन्य दस्तावेज़	
3	आवेदक (आवेदकों)/ पेटेंटी (पेटेंटीयों)/ / प्राधिकृत रजिस्ट्रीकृत पेटेंट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए	<p>यहाँ प्रदत्त सूचना मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के आधार पर सत्य है।</p> <p>.....आज तारीख20.....</p>
4	हस्ताक्षर करने वाले प्रकृत व्यक्ति का नाम	हस्ताक्षर.....